



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1275]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, जून 18, 2015/ज्येष्ठ 28, 1937

No. 1275]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2015/JYAISTHA 28, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2015

का.आ. 1633(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2708 (अ) तारीख 17 नवंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

"क्रम सं.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61(क) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
5.	सलाहकार (विधि), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै	संपूर्ण भारत में,"।

[फा.सं. 28-14/2008-सीएस-III(एनबीए)]

अनिल संत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2708(अ), तारीख 17 नवंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक का.आ. 120(अ) तारीख 7 जनवरी, 2009 द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2015

S.O. 1633(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby make the following further amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2708 (E), dated the 17th November, 2008, namely:—

In the said Notification, in the TABLE, after serial number 4 and the corresponding entries relating thereto the following, shall be inserted, namely:—

SLNo.	Officer authorised to file complaints under Section 61(a) of the Biological Diversity Act, 2002	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
5.	Advisor (Law), National Biodiversity Authority, Chennai	Whole of India

[F. No. 28-14/2008-CS-III(NBA)]

ANIL SANT, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide Notification number S.O. 2708(E), dated the 17th November, 2008 and subsequently amended vide S.O. number 120(E), dated the 7th January, 2009.